कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय), सलूम्बर

email- dlsa43salumber@gmail.com

क्रमांक : 19 दिनांक : 05/05/2026

–: कार्यालय आदेश :–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसर प्री–लिटिगेशन प्रकरणों एवं लम्बित प्रकरणों एवं लम्बित प्रकरणों सहित राजस्व मामलों के लिए दिनांक 09.05.2026 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 26(2) तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम (6)(ग) के तहत निम्नानुसार बैंचो का गठन किया जाता है :–

बैंच संख्या	लोक अदालत बैंच के अध्यक्ष व सदस्य का नाम	बैठक का स्थान एवं समय	सुनवाई योग्य प्रकरण
1.	जिला एवं सेशन न्यायालय अध्यक्ष– श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी सदस्य– श्री डॉ. मयूर शर्मा, तहसीलदार सलूम्बर (प्रो–बोनो) सदस्य– श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता (प्रो–बोनो)	न्यायालय कक्ष जिला एवं सत्र न्यायालय, सलूम्बर (समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	1–जिला एवं सेशन न्यायालय, सलूम्बर 2–अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सलूम्बर 3–राजस्व मामले
2.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर अध्यक्ष– श्री विनीत कुमार सदस्य– श्री ललित जोशी, अधिवक्ता (प्रो–बोनो)	न्यायालय कक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर (समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	1–न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर 2–न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर 3–न्यायालय न्यायिक मजि स्ट्रेट सलूम्बर 4–प्रिलिटिगेशन से संबंधित समस्त मामले

नोट–

1. रैफरल न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश दिया जाता है कि लोक अदालत के एक दिवस पूर्व ही संबंधित बैंच में पत्रावलियां भिजवाते हुए संबंधित न्यायालय से समन्वय स्थापित करें, उपरोक्त हेतु केवल एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।

2. पीठासीन अधिकारी (बैंच अध्यक्ष) दिनांक 09.05.2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर प्रकरणों हेतु अधिकतम दो मंत्रालयिक कर्मचारी (किसी भी स्तर के) एवं एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाना सुनिश्चित करावें।

3. बैंच अध्यक्ष, बैंच में लिंक न्यायालय की सूचना भी आवश्यक रूप से निर्धारित समयानुसार नियत प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

4. माननीय रालसा द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

5. बैंच द्वारा लोक अदालत की अंतिम सूचना सायं 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर को भेजी जावें।

6. न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सराड़ा लोक अदालत 09.05.2026 हेतु बिंदु संख्या 02 के अनुसार बैंच का गठन कर अविलंब बैंच गठन की सूचना प्रेषित करावें।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
(सलूम्बर राज0)

क्रमांक: जिविसेप्रा / 2026 / 381- 404 दिनांक : 05/05/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. श्रीमान् वरिष्ठ मुंसरिम माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, सलूम्बर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सलूम्बर।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर।
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर।
5. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलुम्बर।
6. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सलुम्बर।
7. न्यायिक मजिस्ट्रेट सलुम्बर।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट सराडा।
9. तहसीलदार, सलूम्बर।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सलूम्बर।
11. अभियोजन अधिकारी, सलूम्बर।
12. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायाल, सलूम्बर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बैंच आदेश सलूम्बर न्याय क्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. नोडल अधिकारी (राजस्व प्रकरण), राष्ट्रीय लोक अदालत, सलूम्बर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बैंच आदेश सलूम्बर न्याय क्षेत्र के संबंधित सभी राजस्व अधिकारीगण को सूचित करावें।
14. श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता।
15. श्री ललित जोशी, अधिवक्ता।
16. कार्यालय प्रति।

05.5.26

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सलूम्बर (राज.)